मूल हिन्दी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 981
15.12.2022 को उत्तर के लिए

पर्यावरण नियामक का गठन करना

981. श्रीमती फूलो देवी नेतम :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यावरणीय स्वीकृतियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक की स्थापना नहीं की गई है; और

(ख) क्या सरकार पर्यावरणीय स्वीकृतियों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र पर्यावरण नियामक की स्थापना करने का विचार रखती है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) और (ख) : ईआई अधिसूचना, 2006 ने परियोजनाओं को उनकी क्षमता के आधार पर दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया है। पर्यावरणीय मंजूरियों (ईसी) के अनुदान के लिए श्रेणी 'क' की परियोजनाओं का केन्द्रीय स्तर पर (एमओईएफसीसी) जबकि श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं का राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) के स्तर पर मूल्यांकन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं को केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तर पर स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों/राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की जाती है। सरकार ने देश भर में केन्द्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों पर प्रदान की गई ईसी की निगरानी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 19 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के प्रावधानों के अनुसार गठित राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रदान की गई ईसी के संबंध में स्वतंत्र अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।

****